

जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं.:- TKS-18, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 466432.01 टीपीए, निकट गांव- हरिपुरा, तहसील- खींवसर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर श्री सुनिल पंवार की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी, हरिपुरा, तहसील-खींवसर, जिला नागौर में दिनांक 28.10.2025 को प्रातः 10:00 बजे आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र "द इंडियन एक्सप्रेस" एवं "दैनिक भास्कर" में दिनांक 25/09/2025 को प्रकाशित करवाई गई थी, जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर नागौर की तरफ से उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खींवसर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
खींवसर (नागौर)

जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु मैसर्स सनसिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एजिस एन्वायरॉमेंट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार मैसर्स एजिस एन्वायरॉमेंट रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट गांव- हरिपुरा, तहसील- खींवसर, जिला- नागौर (राज.) में खनिज-लाइमस्टोन खनन हेतु प्रस्तावित है, जिसका ब्लॉक नं.- TKSB-18, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 466432.01 टीपीए, निकट गांव- हरिपुरा, तहसील- खींवसर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में लाइमस्टोन खनन परियोजना होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

एसडीएम महोदय ने उपस्थित जन समूह से उपस्थिति पंजिका के सन्दर्भ में बताया कि इस पंजिका पर आपके हस्ताक्षर केवल आपकी इस जनसुनवाई में उपस्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे यह ज्ञात हो कि आपने इस जन सुनवाई में उपस्थित रह कर अपनी आपत्ति तथा सुझाव प्रस्तुत किये हैं अथवा लिखित आपत्ति प्रस्तुत की है, इस उपस्थिति पंजिका का यह अर्थ कभी नहीं है कि आपने इस


क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
नागौर (राजस्थान)


सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
खींवसर (नागौर)

परियोजना हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। आप द्वारा जो भी लिखित अथवा मौखिक सुझाव दिये जायेंगे वह सभी कार्यवाही विवरण में अंकित किये जायेंगे।

उपस्थित जन समूह द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज करवाते हुए लिखित में एक ज्ञापन दिया गया जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट "ब" पर संलग्न हैं।

श्री मूलाराम सरपंच बैरावास ने कहा कि हरिपुरा गांव सबसे ज्यादा एससी के लोग हैं तथा उनके पास 2-2, 4-4 बीघा जमीन ही है, इसकी जमीनों के पास जहां माईन्स अलॉट हुई है, उसके पास की जमीन से अपना पालन-पोषण कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो वहां माईन्स के आने पर्यावरण प्रदूषण होगा, जिससे फसलें नष्ट होगी। नजदीकी गांव में देखते हैं, वह हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसानों को इनसे क्या फायदा है, किसी भी फैक्ट्री में किसानों को कभी फायदा नहीं मिला है। हम यहीं चाहते हैं कि लोकल लोगों को फायदा हो, किसानों को कम-से-कम 25 लाख रुपये बीघा से जमीन का मुआवजा मिले, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आपेक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया।


श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर


श्री सुनिल पंवार,
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
खीवसर
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
खीवसर / नागौर

1

लाइमस्टोन खनन परियोजना मैसर्स सनशिटी केमिकल एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नं:- TKSB-18, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 466432.01 टीपीए, निकट गांव- हरिपुरा, तहसील- खींवसर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थान:- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकों की ढाणी, हरिपुरा, तहसील-खींवर, जिला नागौर

दिनांक: 28.10.2025,

समय: प्रातः 10:00 बजे

[illegible]

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
खींवसर (नागौर)

to RO (environment)

8 / x
28

महोदय

निवेदन है कि उपरोक्त विषयानुसार मैसर्स सनसिटी केमीकल एण्ड मिनरल प्रा.लि. को ग्राम हरिपुरा में खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं देने हेतु लेख है कि ग्राम हरिपुरा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है। हरिपुरा के निवासी दूरदराज ढाणियों में बसते हैं और हरिपुरा के निवासीयो का मुख्य पुश्तेनी कार्य पशुपालन और कृषि कार्य है। इस प्रकार से यहां पर कम्पनीयों को पर्यावरणीय मंजूरी देने से यहां निवासीयों के साथ घोर अन्याय है। अतः आपसे विन्नम प्रार्थना है कि है उक्त कम्पनी को पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दी जाए।

मेहर
मंथलाल
सहाय
नेनीचन्द
राजलाल
गीविन्दराम
बालाराम
भुवेंद्र
गणमत
तेनाराम

निवेदक :- ग्राम पंचायत हरिपुरा
पं. स. जीवराज / १०८४

समस्त ग्रामवासी हरिपुरा

नरेश नायक

गौबिन्द

मठेन्द्र







पर्यावरणीय स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई



हरिपुरा लाइमस्टोन माईनिंग कलस्टर प्रोजेक्ट निकट ग्राम हरिपुरा, तहसील खोंवसर,
जिला नागौर (राजस्थान) मे परियोजना प्रस्तावक **मैसर्स सनसिटी कोमिकल एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.** द्वारा
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई

परियोजना प्रस्तावक

क्र.सं.	परियोजना प्रस्तावक का नाम	ब्लॉक	खन पट्ट का क्षेत्रफल (हेक्टर)	खसरा नम्बर	परियोजना लागत (करोड़)	प्रस्तावित उत्पादन टन मे
1.	मैसर्स सनसिटी कोमिकल एण्ड मिनरल्स प्रा. लि.	TKSB-18	4.80	17,16,38,15,14,6	5.16	466432.01

स्थान : राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायको की ढाणी हरिपुरा
दिनांक 28/10/2025
समय : प्रातः 10.00 बजे से
अध्यक्षता: उमखण्ड मजिस्ट्रेट, खोंवसर

अवलोकक :
क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य पर्युषण निदयंत्रण मण्डल,
नागौर







